भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

201

श्री

पुनरीक्षण क्रं. /17–18
प्रस्तुत दिनांक –11–2017

माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर इन्हो के न्यायालय में

पुनरीक्षण अर्ज– धारा 50 म.प्र.भु.रा.सं. के अंतर्गत

PBR/निगरानी/खरगौन/भूरा/2017/4628

1. दीपक पिता मांग्या काछी, उम्र 52 साल,
धंधा काश्त व नौकरी,
2. कैलाश पिता मांग्या काछी, उम्र 58 साल,
धंधा काश्त, दोनो निवासी ठनगॉव, तह.महेश्वर जिला खरगोन म.प्र.

––प्रार्थी

वि रू द्ध

सुभाष पिता दशरथ काछी, उम्र 65 साल,
धंधा काश्त,निवासी ठनगॉव, तह.महेश्वर जिला खरगोन

––प्रतिप्रार्थी

विषयः– रास्तें बाबद

श्रीमान,

हम प्रार्थीगण (मूल प्रार्थीगण) श्रीमान नायब तहसीलदार साहब, मंडलेश्वर इन्हो के न्यायालय ने रा.प्र.कं. 2अ–13/2016–17 में दिनांक 2–11–2017 को प्रार्थीगण का ऑ. 6 नि. 17 सी.पी.सी. के अंतर्गत प्रस्तुत संशोधन आवेदन निरस्त करतें हुऐ जो आदेश दिया, उससे असंतुष्ट होकर यह पुनरीक्षण अर्ज प्रस्तुत करते जिसके कारण–

1. माननीय अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय, कानून तथा पुरावें के विपरीत है ।

2. माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने जबकि प्रकरण में प्रार्थीगण पक्ष की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया होने से विचारण प्रारंभ नहीं हुआ है, फिर भी विचारण प्रारंभ हो जाने को आधार बनातें हुऐ आवेदन पत्र निरस्त करने में कानून की गंभीर भूल की है ।

3. माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बलदेवसिंह विरूद्ध मनोहरसिंह 2006 पार्ट 4 एम.पी.एल.जे. 1 में "विचारण प्रारंभ होने" की स्थापित विधि को अनदेखा

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/खरगौन/भूरा/2017/4628

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-02-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 20-5-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो । अध्यक्ष	